

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 324/2022

अनवान : -

1. देवीलाल पुत्र दुलाराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।
- वादी

बनाम्

1. दुलाराम पुत्र लादुराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।
2. हंसराज पुत्र दुलाराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री दुलाराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।
4. मैनावती पुत्री दुलाराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।
5. नाथी देवी पुत्री दुलाराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

7. जगदीश पुत्र लादुराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: ५/०१/२५

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 50/44 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 8.8550 है० भूमि व खाता संख्या 224/205 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीया संख्या 4 ता 6 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 4 ता 6 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त मुताबिक समझोता रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 50/44 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 8.



२५

8550 है0 भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 224/205 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 पेश किया गया जो कि स्वीकार किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये। प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जवाब स्टेट पेश किया जो की शामिल पत्रावली किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने खाता संख्या 50/44 की वाद भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 50/44 के कुल खसरे 3 का कुल

क्षेत्रफल 8.8550 है० भूमि व खाता संख्या 224/205 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद पैतृक दादालाई कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 ने खाता संख्या 50/44 की वाद भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 50/44 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 8.8550 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं व खाता संख्या 224/205 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ५/०१/२५ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 324/2022

अनवान : -

1. देवीलाल पुत्र दुलाराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. दुलाराम पुत्र लादुराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।
2. हंसराज पुत्र दुलाराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री दुलाराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।
4. मैनावती पुत्री दुलाराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।
5. नाथी देवी पुत्री दुलाराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

7. जगदीश पुत्र लादुराम जाति गोंसाई (गुंसाई) निवासी ललानियां तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 324 सन 2022 निर्णय दिनांक 4/11/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानियां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 50/44 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 8.8550 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं व खाता संख्या 224/205 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर